आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के ब में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

05/01/2018

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद।

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–03/AC/2018–19

अनवर हुसैन बनाम मो0 खलील अंसारी

आदेश

यह जमाबंदी रद्द वाद अनवर हुसैन पिता–स्व0 हनीफ अंसारी, मुहल्ला–मखदुमाबाद, पो0+थाना+जिला–जहानाबाद के द्वारा मो0 खलील अंसारी, पिता–स्व0 मो0 सादिक अंसारी, मो0- मखदुमाबाद, पो0+थाना+जिला–जहानाबाद के द्वारा गलत ढ़ग से जमाबंदी कायम करा लिये जाने के कारण इनके विरूद्व बिहार नामन्तरण अधिनियम 2011 की धारा–09 के तहत भूमि की जमाबंदी रद्द करने हेतु वाद लाया गया है।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार

क्र	रैयता का नाम एवं पता	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	जमाबंदी सं0
1	मो0 खलील अंसारी, पिता–मो0 सादीक अंसारी, मुहल्ला–मखदुमाबाद, थाना+जिला–जहानाबाद।	21 नया 47 पुराना	147 नया 79,80,81 पुराना 183 नया 75 पुराना 186 नया 87 पुराना 187 नया 87 पुराना 235 नया 88 पुराना	1.03	29/01
		20 नया 47 पुराना	148 नया 78.81 पुराना 185 नया 87 पुराना	30 डी0	

उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया नोटिस का तामिला प्राप्त।

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि लगभग 1.33 एकड़ भूमि आवेदक तथा विपक्षी के नाम से वर्ष 1978 में दो निबंधित वसीका संख्या–7459 तथा 7460 के द्वारा खरीद की गयी है। विपक्षी आवेदक के चचरे भाई है। विपक्षी आवेदक से बड़े है आवेदक के पिता विपक्षी पर विश्वास करके भूमि का दाखिल–खारिज करवाने का काम विपक्षी को दिया था क्योंकि उक्त वसीका के अनुसार आधी एराजी पर आवेदक का अधिकार है तथा आधी एराजी पर विपक्षी का अधिकार हासिल है लेकिन विपक्षी ने विश्वास घात करके तथा अवैध ढ़ग से सभी कुल एराजी 1.33 एकड़ भूमि की दाखिल–खारिज अपने नाम से डिमांड संख्या–29/01 के तहत दर्ज करवा लिया है। वसीका के अनुसार 66.5 डी0 भूमि का दखिल–खारिज आवेदक के नाम से होना चाहिए था या दाखिल–खारिज विपक्षी के साथ आवेदक का नाम संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए था लेकिन विपक्षी कपटपूर्ण आचरण करके आवेदक की भूमि को हड़पने की नियम से प्रश्नगत भूमि का दाखिल–खारिज विपक्षी ने अपने नाम से करवा लिया है। यह है कि नोटिस के उपरांत विपक्षी इस वाद मे उपस्थित हुए तथा अपना अपत्ति पत्र दाखिल किये।

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई में टिप्पणी, तारीख
1	2	3
	आपत्ति पत्र के द्वारा विपक्षी ने सभी तथ्य झुठे व गलत उठाये है लेकिन जो दो तथ्य विपक्षी ने न्यायालय को गुमराह करने के लिए उठाये है जो आपत्ति पत्र के पारा–04 और पारा–07 में अंकित है उसका स्पष्टीकरण जरूरी है। आपत्ति पत्र के पारा–04 में यह कहा गया है कि आवेदक और विपक्षी का संयुक्त परिवार था जबकि मुस्लिम कानुन में यह है कि इस्लाम धर्म संयुक्त परिवार का कोई अवधारना नही है। आपत्ति पत्र के पारा–07 में यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि का बटवारा दिनांक–05.01.1980 को आवेदक द्वारा विपक्षी के पक्ष में कर दिया गया है। विपक्षी का यह कथन बिल्कुल अस्त्य एवं गलत है वर्ष 1987 1988 में आवेदक ने प्रश्नगत भूमि पर अपना मलिकाना हक बताते हुए जहानाबाद के स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा से अंसारी प्लास्टीक इंडस्ट्रीज संचालित करने हेतु कर्ज लिया था, उस कर्ज के एवज में प्रश्नगत भूमि का मूल वसीका बैंक में गिरवी के तौर पर रखा था और विपक्षी कर्ज दिलाने में गारंटर के रूप में थे इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का बटवारा कभी हुआ ही नहीं था बाद मे कर्ज की रकम को आवेदक ने चुका दिया था। इतना ही नहीं विपक्षी ने वर्ष 1997 में जहानाबाद के सब जज–III के न्यायालय मे बटवारा वाद सं0–108/97 आवेदक तथा आवेदक के पिता के विरूद्ध लाया था इस वाद में विपक्षी ने अपनी गवाही के पारा–69 में दिनांक–09.01.2001 को स्पष्ट कहा है कि जो भूमि सयुक्त रूप से आवेदक अनवर हुसैन तथा विपक्षी मो0 खलील अंसारी के बीच खरीदारी हुई है। उक्त भूमि का बंटवारा हम दोनेा के बीच नही हुआ है। इसलिए विपक्षी के नाम से स्थापित जमांबंदी संख्या–29/01 को रद्द करते हुए आवेदक के नाम पर 66.05 डी0 भूमि का जमाबंदी कयाम करने हेतु अंचल अधिकारी, जहानाबाद को निदेश देने का कृपा करें । विपक्षी का कहना है कि यह कार्यवाही अनवर हसैन पिता–स्व0 मो0 हनिफ अंसारी निवासी मुहल्ला–मखदुमाबाद जिला–जहानाबाद के विरूद्ध दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 के अन्तर्गत लाया गया है यह कार्यवाही 1.33 डी0 जमीन के लिए लाया गया है। विपक्षी का यह भी कहना है यह जमीन दो रजिस्ट्री वसीका न0–7459 और 7460 के द्वारा दिनांक–23.06.1978 को खरीदा गया है जमीन खरीदने के बाद दोनो पक्ष इस जमीन पर संयुक्त रूप से दखल कब्जा किये तथा इस पर फसल उपजाने लगे और फसल को आपस में आधा–आधा बाटने लगें विपक्षी आवेदक से उम्र में बड़ा है आवेदक का कथन है कि विवाद ग्रस्त एराजी का अपने नाम में दाखिल–खारिज करने हेतु विपक्षी को आग्रह किया। विपक्षी कुल एराजी 1.33डी0 में से आधा 66.5डी0 का माँग पंजी अपने नाम से बनवा लिया और आधी एराजी का माँग पंजी आवेदक के नाम से बनवा लिया। जब इस बात की जानकारी आवेदक को हुई तो पता चला कि पुराना माँग पंजी के पृष्ट सं0–43 पर अपना नाम विपक्षी ने चढ़वा लिया। विपक्षी का कथन है कि आवेदक के द्वारा हर सच्चाई को छिपाते हुए नई महज गढकर मांग पंजी को रद्द करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में नहीं दिया गया है। आवेदक के पिता और विपक्षी के पिता अपने सहोदर भाई थे तथा संयुक्त परिवार के सदस्य थे। आवेदक के पिता मो0 हनिफ असांरी भाई में बड़े थे। विपक्षी के पिता विपक्षी को नाबालिग अवस्था में छोड़कर स्वर्ग कर गये। आवेदक के पिता मो0 हनिफ अंसारी सभी सम्पति का देख–भाल करने लगे उस समय ग्राम–महदीपुर थाना–जहानाबाद तत्कालीन जिला–गया वर्तमान जिला–जहानाबाद में 12 बिगहा खेती की जमीन और मकान दोनो भाईयों का संयुक्त था। संयुक्त खेती की आमदनी से विवाद ग्रस्त जमीन आवेदक के पिता खरीदे थे खरीदगी के कुछ दिनों के बाद दोनो भाई में बटवारा हो गया था उस बटवारा में विवाद ग्रस्त जमीन विपक्षी को मिला इसके लिए एक यादशात कागज	

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

बटवारा का कागज भी 05.01.1980 को बना उसकी प्रति विपक्षी के पास है। इसी कागज और कब्जा के आधार पर मांग पंजी अंचल कार्यालय जहानाबाद मे विपक्षी के नाम से खुला। आवेदक मांग पंजी खुलने के बहुत दिनों के बाद यह मुकदमा मांग पंजी को रद्द करने के लिए लाया है। आवेदक अपने पिता के जिन्दगी में वालिक हो गये थे तथा अपना कार्य देखने लगें कभी विपक्षी को कारबार में दखल नहीं दिये अपने आवेदन के पारा–03 में गलत ब्यान दिये है कि बाद में उन्हे विपक्षी के नाम से गलत डिमांड की जानकारी हुई है। विपक्षी ने अपने दावा के समर्थन में कागजात भी दाखिल–किया है इसमें विपक्षी के नाम से वर्ष 2018–19 का वर्ष 1993–94 का सरकारी मालगुजारी रसीद है। इसके अलावा दिनांक–05.01.1980 के वाजिदावा का कागज भी दाखिल है। जिसे आवेदक ने मो0 खलील अंसारी के नाम से लिखा है जो विवादित जमीन से संबंधित है। इस लिए माँग पंजी रद्द करने हेतु लाया गया वाद संख्या–03/AC/2008 पोषणीय नहीं है। यह काल बाधित है इस लिए आवेदक द्वारा दायर किये गये अपील को खारिज करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगतः भूमि विवादित तथा आपसी बटवारा से संबंधित है।

अतः यह विवाद पूर्ण तरह से हकियत एवं स्वतत्व से संबंधित है। जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है इस लिए अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

15/11/18
अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद

15/11/18
अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद

ज्ञापांक 1628 /रा०जहानाबाद दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, एन.आई.सी. जहानाबाद को आदेश की प्रति जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[illegible]
प्रभारी पदाधिकारी
जिला राजस्व शाखा
जहानाबाद
14/12/18